

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

2021/629

जज अदालत उप जिला कलेक्टर

मुकाम

पंचायत

केदार प्रसाद प्रामा ..... बनाम श्री ०० सरकार

किस्म मुकदमा ..... नं० ८८/२०२१ सन् २०२१

प्रामा केदार प्रसाद - धार्य-136 L.R.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/02	<p>प्रार्थी द्वारा प्रामा केदार प्रसाद - धार्य-136 L.R. Act प्रशासन जांचों के अंतर्गत अभिमान-2021 में इस आशय से प्रेष किया कि प्रार्थी की राजस्व जमाबंदी में नाम केदार पुत्र राधेश्याम लिख दिया है जबकि अन्य जमाबंदियों में नाम केदार पुत्र राधेश्याम है तथा प्रार्थी द्वारा केदार पुत्र राधेश्याम के स्थान पर केदार पुत्र राधेश्याम करने का निवेदन किया। इस संबंध में पटवारी हल्का, तहसील कारवा, व नामक तहसील कारवा की रिपोर्ट प्राप्त की। उप रिपोर्ट के अनुसार ग्राम हायपुरा की जमाबंदी सेवत 2074-77 खता सं. 93 क्रि.सं-07 शकवा 2-55 ईस्ट में प्रार्थी का नाम केदार पुत्र राधेश्याम जारी- प्राथमिक हिस्सा-16 एवं रिकार्ड है प्रार्थी पत्र के अंतर्गत प्रार्थी की जमाबंदी B.A. पत्र में एवं निवृत्त कालोम के पहला पत्र के अनुसार प्रार्थी का नाम केदार प्रसाद लिखित है तथा उप रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम केदार पुत्र राधेश्याम के स्थान पर केदार प्रसाद पुत्र राधेश्याम किया जाना उचित बताया है।</p>	



डा. तहसीलदार बलवा, कागव तहसीलदार  
 कोठीकुई व पखारी हलका की रिपोर्ट के  
 आधार पर व प्राप्ति के कोलमन प्रमाणपत्रों  
 के आधार पर शपथ रिकार्ड के प्राप्ति का  
 काम केसर पुत्र शिखरनाथ के स्थान पर  
 केसर पुत्र शिखरनाथ किये जाने के  
 कोडेशन प्रमाण किये जाते हैं। तहसीलदार  
 कलव को कोडेशन प्रमाण शपथ रिकार्ड के  
 काम समाप्त हेतु तहसीलदार की जाये।  
 प्राप्ति प्रमाणपत्रों को कोडेशन प्रमाण  
 शामिल दफ्तर है।

W  
 उप जिला कलेक्टर  
 कोठीकुई (बीसा)  
 प्रशासन गाँवों के संगठन-2021  
 शिविर ग्राम पंचायत.....